झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान–सभा
द्वादश (बजट)–सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न,मंगलवार,दिनांक– 03 माघ, 1939 (श0) ---------- को 23 जनवरी, 2018 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
163	शि–27	डॉ0 इरफान अंसारी	पद स्वीकृत करना।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
164	उत–04	श्री कुणाल षड़ंगी	आवेदन का निष्पादन।	उच्च एवं तकनीकी	09.01.18
165	टन–10	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,खेल कूद	13.01.18
166	शि–17	श्रीमती विमला प्रधान	सरकारीकरण करना।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
167	उत–05	श्री फूलचंद मंडल	विभाग स्वीकृत करना।	उच्च एवं तकनीकी	08.01.18
168	उत–22	श्री अरूप चटर्जी	विभाग स्वीकृत करना।	उच्च एवं तकनीकी	15.01.18
169	टन–19	प्रो0जय प्रकाश वर्मा	पार्क का निर्माण करना।	पर्यटन,खेल कूद	15.01.18
170	शि–37	श्री जानकी प्रसाद यादव	चाहरदिवारी का निर्माण करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
171	शि–22	श्री राज कुमार यादव	उच्च विद्यालय का निर्माण।	स्कूली शिक्षा	13.01.18

01	02	03	04	05	06
172	शि-15	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
173	उत-15	डॉ0 जीतू चरण राम	डिग्री कॉलेज का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18
174	शि-24	श्री लक्ष्मण टुडू	सम्मानजनक वेतन देना।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
175	टन-08	श्री भानु प्रताप शाही	पर्यटन स्थल का दर्जा देना।	पर्यटन,खेल कूद	13.01.18
176	शि-29	श्री शशि भूषण सामाइ	दोषी पदा0 पर कार्रवाई एवं भुगतान।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
177	शि-35	श्री जगरनाथ महतो	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
178	शि-04	श्री राम कुमार पाहन	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा	08.01.18
179	शि-30	श्री साधु चरण महतो	सेवा स्थायी करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
180	उत-01	डॉ0 इरफान अंसारी	प्रावधान करना।	उच्च एवं तकनीकी	08.01.18
181	वन-13	श्रीमती निर्मला देवी	अन्यत्र स्थापित करना।	वन पर्यावरण	15.01.18
182	टन-12	श्री हरिकृष्ण सिंह	विशेष पैकेज देना।	पर्यटन,खेल कूद	13.01.18
183	उत-24	प्रो0जय प्रकाश वर्मा	इंजिनीयरिंग महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी	15.01.18
184	शि-11	श्रीमती मेनका सरदार	संसाधन उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा	10.01.18
185	शि-16	श्रीमती जोबा माझी	निर्माण में सुधार।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
186	वन-15	श्री साईमन मरांडी	दोषी0 पदा0 पर कार्रवाई।	वन पर्यावरण	15.01.18
187	शि-44	श्रीमती जोबा माझी	पदस्थापित करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
188	उत-19	श्री विकास कुमार मुण्डा	पुस्तकालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी	15.01.18
189	वन-14	श्रीमती निर्मला देवी	अन्यत्र स्थापित करना।	वन पर्यावरण	15.01.18
190	शि-32	श्री नारायण दास	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
191	शि-14	श्रीमती गीता कोड़ा	यन्त्र लगाना।	स्कूली शिक्षा	10.01.18
192	उत-27	श्री केदार हजरा	महिला महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी	15.01.18

01	02	03	04	05	06
193	टन–21	श्री केदार हजरा	पर्यटन क्षेत्र घोषित करना।	पर्यटन,खेल कूद	15.01.18
194	शि–09	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	मरम्मती करना।	स्कूली शिक्षा	10.01.18
195	टन–13	डॉ0 जीतू चरण राम	पर्यटन स्थल विकसित करना।	पर्यटन,खेल कूद	13.01.18
196	उत–02	श्री योगेश्वर महतो	शिक्षण सत्र प्रारंभ करना।	उच्च एवं तकनीकी	09.01.18
197	शि–23	श्री राजकुमार यादव	पढ़ाई शुरू कराना।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
198	उत–12	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	पढ़ाई शुरू कराना।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18
199	शि–01	श्री दशरथ गागराई	पुस्तके उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा	08.01.18
200	वन–02	श्री राम कुमार पाहन	जाँच कर कार्रवाई करना।	वन पर्यावरण	09.01.18
201	वन–01	श्री कुणाल षड़ंगी	नियम को कार्यकारी करना।	वन पर्यावरण	09.01.18
202	शि–13	श्रीमती गीता कोड़ा	पुस्तकों का वितरण करना।	स्कूली शिक्षा	10.01.18
203	उत–09	श्री अनन्त कुमार ओझा	डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18
204	वन–05	श्री मनीष जायसवाल	रमणिक स्थल विकसित करना।	वन पर्यावरण	13.01.18
205	शि–18	श्री प्रदीप यादव	शिक्षकों का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
206	शि–10	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	राशि का आवंटन करना।	स्कूली शिक्षा	10.01.18
207	शि–36	श्री राधाकृष्ण किशोर	प्रपत्र "क"गठित करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
208	उत–23	श्री मनोज कुमार यादव	डिग्री कॉलेज का भवन निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी	15.01.18
209	वन–17	श्री प्रदीप यादव	प्रभावी कदम उठाना।	वन पर्यावरण	15.01.18
210	शि–19	श्री भानु प्रताप शाही	उच्च विद्यालय की स्थापना	स्कूली शिक्षा	13.01.18
211	शि–12	श्री शिवशंकर उराँव	योजना क्रियान्वित करना।	स्कूली शिक्षा	10.01.18
212	शि–07	प्रो0 स्टीफन मरांडी	विषयवार शिक्षक की नियुक्ति।	स्कूली शिक्षा	09.01.18

कृ0पृ030/-

01	02	03	04	05	06
213	उत-20	श्री साधु चरण महतो	भूमि हस्तान्तरित करना।	उच्च एवं तकनीकी	15.01.18
214	टन-07	श्री राज सिन्हा	निर्माण कार्य पूर्ण करना।	पर्यटन,खेल कूद	13.01.18
215	उत-07	श्री शिवशंकर उराँव	समुचित कदम उठाना।	उच्च एवं तकनीकी	10.01.18
216	उत-16	श्री चम्पाई सोरेन	विद्यालय भवन का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18
217	शि-02	श्री फूलचंद मंडल	विद्यालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा	08.01.18
218	टन-02	श्री योगेश्वर महतो	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,खेल कूद	09.01.18
219	उत-17	श्री राज सिन्हा	विज्ञान एवं तारामंडल भवन का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18
220	वन-04	श्री सुखदेव भगत	अन्यत्र स्थानान्तरित करना।	वन पर्यावरण	10.01.18
221	उत-06	प्रो० स्टीफन मरांडी	कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी	09.01.18
222	टन-15	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	आवासीय विद्यालय एवं सुविधा देना।	पर्यटन,खेल कूद	15.01.18
223	टन-18	श्री विकास कुमार मुण्डा	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन,खेल कूद	15.01.18
224	टन-14	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	कब्जा से मुक्त करना।	पर्यटन,खेल कूद	15.01.18
225	शि-26	श्री हरिकृष्ण सिंह	उच्च विद्यालय में परिणत करना।	स्कूली शिक्षा	13.01.18
226	टन-04	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पर्यटन क्षेत्र घोषित करना।	पर्यटन,खेल कूद	10.01.18
227	वन-07	श्री कुलू महतो	रोक लगाना।	वन पर्यावरण	15.01.18
228	उत-14	श्री मनीष जायसवाल	अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करना।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18
229	वन-16	श्री प्रकाश राम	आवश्यक कार्रवाई करना।	वन पर्यावरण	15.01.18

कृ०पृ०30/-

01	02	03	04	05	06
230	शि-42	श्री नलिन सोरेन	नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा	15.01.18
231	उत-08	श्रीमती मेनका सरदार	डिग्री महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी	10.01.18
232	उत-13	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	डिग्री कॉलेज खोलना।	उच्च एवं तकनीकी	13.01.18

राँची
दिनांक-23जनवरी,2018 (ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-04/2015-832/वि0स0,राँची,दिनांक- 19 जनवरी,2018 ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधा-सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/01/18

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-04/2015-832/वि0स0,राँची,दिनांक- 19 जनवरी,2018 ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/अपर सचिव (प्रश्न) संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/01/18

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0-04/2015-832/वि0स0,राँची,दिनांक- 19 जनवरी,2018 ई0।

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेवसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/01/18

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

मराण्डी/-

19/1/18

163

239
22/01/2018

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-27

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत सोनारायडीह प्रखण्ड में बानीडीह उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग पांच सौ से अधिक है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में दो ही शिक्षकों का पद स्वीकृत है, जिससे उक्त विद्यालय में शिक्षकों की कमी रहने के कारण छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन उच्च विद्यालय में 11 शिक्षकों के पद सृजित किये गये हैं। तत्काल 2 नियमित तथा 3 पारा शिक्षकों के माध्यम से पठन-पाठन किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर शिक्षकों की इकाई (Unit) बढ़ाकर पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लिये 17864 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-30/2018 239 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री कुणाल षडंगी, स०वि०स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-04

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा कॉलेज, बहरागोड़ा के श्री डी० के० राउत, व्याख्याता (Lecturer SG) का पे फिक्सेशन का आवेदन वर्षों से विभाग में लंबित है;	विभागीय पत्रांक-108 दिनांक-17.01.2018 द्वारा श्री डी० के राउत, व्याख्याता (प्रवर कोटि), राजनीतिशास्त्र विभाग, बहरागोड़ कॉलेज, बहरागोड़ा का वेतन निर्धारण कर दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित व्याख्याता का पे-फिक्सेशन, मसलन पे-स्केल 37,400 से 67,000 नहीं होने के कारण कई वर्षों से विभाग का चक्कर लगा रहे है;	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त खण्डों में वर्णित व्याख्याता का पे-फिक्सेशन, मसलन पे-स्केल 37,400 से 67,000 में कराकर लंबित आवेदन का निष्पादन करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 5/वि०स०-03/2018 161 / रांची दिनांक- 22/01/2018

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-98 दिनांक-09.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 23.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–10 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हैदरनगर, मोहम्मदगंज एवं पिपरा प्रखण्ड में अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं सका है, जिससे इस क्षेत्र के हजारो गरीब एवं मेधावी खिलाड़ी खेलों में अपनी मेधा प्रदर्शन से वंचित रह जाते है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के हुसैनाबाद में एक स्टेडियम पूर्व से निर्मित है तथा हरिहरगंज में एक स्टेडियम वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत किया गया है। साथ ही जिला तथा प्रखण्ड स्तरों पर अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय एवं अन्य जगहों पर स्टेडियम/खेल मैदान उपलब्ध होते है, जिनका उपयोग स्थानीय खिलाड़ी कर सकते है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	बजटीय प्रावधानारूप नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–10/2018 144 / राँची, दिनांक 26/01/18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 336/वि०स० दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्रीमती विमला प्रधान, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-17
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय है, जिसमें 1. जनता उच्च विद्यालय, तामड़ा - 1979 में स्था0 अनु0 प्राप्त 2. उच्च विद्यालय, जोकबहार - 1982 में स्था0 अनु0 प्राप्त 3. उच्च विद्यालय, अवगा - 1982 में स्था0 अनु0 प्राप्त 4. उच्च विद्यालय, कुटमाकछार - 1982 में स्था0 अनु0 प्राप्त है, जो सिमडेगा ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में अवस्थित है एवं सरकार का अनुदान भी प्राप्त है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इन स्कूलों के शिक्षकों को सरकार के अनुदान पर ही आश्रित रहना पड़ रहा है, साथ ही 30-35 वर्षों की सेवा के बाद सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी हो रही है;	इन गैर सरकारी विद्यालयों को झारखण्ड वित्तरहित शैक्षणिक (अनुदान) अधिनियम, 2004 के तहत् अनुदान देने का प्रावधान है। विभागीय निदेशानुसार स्थापना अनुमति प्राप्त एवं प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान राशि में से 60 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के बीच वितरित नहीं किये जाने का आदेश निर्गत है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन विद्यालयों का सरकारीकरण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गैर सरकारी विद्यालयों का सरकारीकरण करने का कोई विषय विचाराधीन नहीं है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-20/2018 226 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

167

श्री फूलचन्द मण्डल, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-05

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में बांग्ला एवं उर्दू विषयों में स्नातकोत्तर विभाग संचालित है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। पी0के0 राय मेमोरियल कॉलेज, धनबाद में बांग्ला विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई हो रही है, किन्तु उर्दू विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई संचालित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के पी0के0 राय मेमोरियल महाविद्यालय, धनबाद में बांग्ला विषय के लिये स्नातकोत्तर की पढ़ाई नियमित रूप से होती है, जिसमें धनबाद व बोकारो जिले के विद्यार्थी शिक्षारत हैं;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले में स्थापित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में उर्दू एवं बांग्ला विषयों में स्नातकोत्तर विभाग नहीं खुलने से इन विषयों में पूर्व से शिक्षारत छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित होगा;	नवस्थापित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद में उर्दू एवं बांग्ला विषयों में स्नातकोत्तर विभाग खोलने का निर्णय नहीं है, किन्तु पी0 के0 राय मेमोरियल महाविद्यालय में चालू रहेगा, इससे पूर्व से शिक्षारत तथा भविष्य में भी बांग्ला पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होगा।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उर्दू एवं बांग्ला विषयों में शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मियों का पद सृजित करते हुए विद्यार्थियों के हित में बी0बी0एम0के0यू0, धनबाद में बांग्ला एवं उर्दू विषयों के लिये विभाग स्वीकृत करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-01/2018 160 / रांची दिनांक- 22.01.2018 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-42 दिनांक-08.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

168

श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-22

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में स्थापित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में इस वर्ष से प्रारंभ होने वाले प्रथम शिक्षा सत्र हेतु कुल 21 विभाग स्वीकृत है, परन्तु इसमें राज्य के द्वितीय राजभाषा बंगला एवं उर्दू विषयों के लिए विभाग स्वीकृत नहीं है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बंगला एवं उर्दू विषयों के लिए विभाग स्वीकृत करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2578 दिनांक-08.11.2017 के द्वारा स्नातकोत्तर के 21 विषयों में पठन-पाठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में उर्दू एवं बांग्ला विषयों में स्नातकोत्तर विभाग खोलने का कोई विचार नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-22/2018 168 रांची दिनांक- 22.01.2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-531 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

प्रो० जयप्रकाश वर्मा, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–19 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार राज्य के पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत खण्डोली जलाशय में पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रयाप्त संभावनाये निहित है, जलाशय के निकट पहाड़ अवस्थित है जो सुन्दर प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि सालों भर खण्डोली जलाशय में पुरे राज्य भर के पर्यटक भ्रमण करने आते रहते है ;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक स्थल पर गिरिडीह तथा आस–पास से पर्यटक भ्रमण के लिए जाते है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्थान पर अवस्थित पहाड़ पर रोप–वे का निर्माण, जलाशय में बोटिंग की समुचित व्यवस्था एवं खेलने का पार्क इत्यादि आवश्यक चीजों का निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	वर्तमान में यह स्थल अंतर–जिला स्तर का पर्यटक स्थल है जहाँ गिरिडीह के आस पास के पर्यटक जाते हैं। वर्तमान में इस स्थल पर स्थानीय स्तर से पार्क निर्मित है एवं बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति, गिरिडीह को वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध कराये गये 1.00 करोड़ रूपये की अनाबद्ध निधि में से खण्डोली डैम के पास आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधा (Tourist Convenience) का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में इस स्थल का पर्यटन संभावना रोपवे अधिष्ठापन के योग्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/19/2018......146....../राँची, दिनांक......22/01/2018....../

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–537/वि०स०, दिनांक–15/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

jharkhand tourism

जितेन्द्र

170

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री जानकी प्रसाद यादव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-37

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में चाहरदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अनेकों स्कूलों के जमीन अतिक्रमित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अतिक्रमित को अतिक्रमण मुक्त कर चाहरदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकारी विद्यालय जिनके भूमि पर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होती है। उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला स्तर पर की गई है। चहारदिवारी निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। जिस कारण चाहरदिवारी का निर्माण नहीं हो पाया। पुनः वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के समक्ष चहारदिवारी हेतु प्रस्ताव रखा जायेगा। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही चाहरदिवारी का निर्माण किया जा सकेगा।

ह०/- 22/1/18
सरकार के अवर सचिव

13/प्र2-11/18
झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....216......../ राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 524, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

171

219
22/01/2018

श्री राज कुमार यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-22

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलों का प्रखण्ड धनवार अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के हित के लिए केन्द्रीय योजना के तहत् ग्राम-चुरंखों में दूर उच्च विद्यालय निर्माण के लिए जगह का चयन किया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार प्रखण्ड अन्तर्गत उपरोक्त ग्राम के अगल-बगल अल्पसंख्यकों की अधिकतम आबादी निवास करती है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त क्षेत्र के अल्पसंख्यकों के गरीब परिवारों के छात्र/छात्रायें उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण विवसता में अग्रेत्तर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं;	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखण्ड के अन्तर्गत 3 कि०मी० की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खिजसोता अवस्थित है। साथ ही निकट में स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, बदडीहा भी संचालित है। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राएं पठन-पाठन करते हैं।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यकों के हित के लिए कल्याण योजनाओं के तहत् चिन्हित जगह पर चालू वित्तीय वर्ष में उच्च विद्यालय का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3 कि०मी० की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खिजसोता की सुविधा उपलब्ध है। अतः यह विषय विचारणीय नहीं है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-26/2018 219 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

172

234
22/01/2018

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-15
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के नाला प्रखण्ड अन्तर्गत चिचूड़बील मध्य विद्यालय पंचायत अफजलपुर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उक्त स्कूल से अध्ययन समाप्त करने के बाद माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को अफजलपुर उच्च विद्यालय आना पड़ता है, और उसकी दूरी 8-10 किलोमीटर पर अवस्थित है जिससे छात्रों को काफी कठिनाई होती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। मध्य विद्यालय, चिचूड़बील से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीपहाड़ी है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चिचूड़बील मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने का विचार रखती हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रश्नाधीन मध्य विद्यालय से 5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। अतः प्रश्नाधीन मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने की अर्हता पूरी नहीं करता है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-21/2018 234 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री जीतू चरण राम, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-15

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि काँके विधान सभा क्षेत्र के खलारी, बुढ़मू एवं काँके प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। काँके विधान सभा क्षेत्र में एस0एस0 मेमोरियल अंगीभूत महाविद्यालय संचालित है। खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत स्थायी सम्बद्धता प्राप्त यू0के0एस0 महाविद्यालय, डकरा में संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के तथा अन्य गरीब बच्चों को पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं;	अस्वीकारात्मक है। इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए जिला अन्तर्गत निकटवर्त्ती डिग्री महाविद्यालय में शिक्षण की व्यवस्था है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार तीनों प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज बनाने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-13/2018/70.../ रांची दिनांक- 22.01.2018
प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-323 दिनांक-13.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

174

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री लक्ष्मण टुडू, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-24

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	**क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -**	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि सर्व शिक्षा अभियान को सन् 2002 से संविधान संशोधन कर लागू किया गया था, जिसकेतहत झारखण्ड राज्य में लगभग 80 हजार पारा शिक्षकों की नियुक्ति सन् 2002 से 2010 के बीच में की गई थी,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सभी पारा शिक्षकगण शैक्षणिक कार्य के अलावा सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे की पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का कार्य संचालन एवं मतगणना और अन्य कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी देने के उपरांत भी झारखण्ड सरकार द्वारा अल्प मानदेय दिया जा रहा है?	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि देश के लगभग कई राज्यों जैसे- उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम के पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक बना दिया गया है एवं पूरा वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन झारखण्ड राज्य के पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक में समायोजितनहीं किया गया जिससेउन्हें पूरा वेतनमान नहीं मिलने के कारण परिवार चलाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है?	पारा शिक्षकों का मानदेय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की 60:40 हिस्सेदारी होती है। राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक के रिक्तियों की भरती में अधिसूचना संख्या-2102, दिनांक 22.10.2014 के अंतर्गत 50 प्रतिशत का कोटा दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों को समान कार्य समान वेतन या एक सम्मानजनक वेतन देने का विचार रखती है, हो तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-3 में निहित है।

अक्षांश
13.1.18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-06/2018 13/व2-06/18 318 रांची, दिनांक 22.01.2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 346, दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरुण सिंह 22/01/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

175

श्री भानु प्रताप शाही, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–08 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के केतार प्रखण्ड में स्थित माँ भगवती मंदिर, नगर उंटारी में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बंशीधर मंदिर एवं प्रखण्ड धुरकी में स्थित सुखलदरी जलप्रपात है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तीनों स्थलों पर हजारों श्रद्धालू पर्यटक दूर–दूर से आते है फिर भी पर्यटन विभाग के द्वारा आज तक उक्त तीनों स्थलों को पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं दिया गया और न ही तत्संबंधी कोई सुविधा मुहैया कराया गया है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक बंशीधर मंदिर वर्तमान में अंतरजिला स्तर का पर्यटक स्थल है। शेष दोनों स्थल स्थानीय प्राकृतिक का पर्यटक स्थल है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तीनों स्थलों को पर्यटन स्थल का दर्जा देते हुए आवश्यक सौन्दर्यीकरण कराकर विश्व के मानचित्र पर लाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	स्थानीय पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिला के सरकारी अधिकारियों के साथ–साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि (सांसद/विधायक/जिला परिषद् आदि) सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति, गढ़वा को इस प्रकृति के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु 100 लाख रूपया Untied fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया था, जिससे **बंशीधर मंदिर का विकास करवा गया है तथा** प्रश्नाधीन अन्य स्थलों का विकास **को समिति द्वारा प्राथमिकता में शामिल नहीं किया गया।** भविष्य में पर्यटन संभावना के अनुसार उक्त स्थलों का सौन्दर्यीकरण इत्यादि का कार्य जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/08/2018 149 /राँची, दिनांक 22/01/2018 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–337/वि०स०, दिनांक–13/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

विनोद

176

217
22/01/2018

श्री शशि भूषण सामाड, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-29

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर शिक्षा परियोजना द्वारा वर्ष 2014-15 में मॉडल विद्यालयों के निर्माण की निविदा निकाली गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के विभिन्न जिलों के अनेक प्रखण्डों में कुल 67 मॉडल विद्यालय का निर्माण होना था;	वस्तुस्थिति यह है कि 89 मॉडल विद्यालयों का निर्माण होना है।
3	क्या यह बात सही है कि कुल 67 मॉडल विद्यालयों में से 45 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 22 विद्यालय भवन निर्माणाधीन है;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा कुल 66 मॉडल विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें 44 पूर्ण है तथा 22 निर्माणाधीन है। शेष 23 का निर्माण झारखण्ड भवन निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।
4	क्या यह बात सही है कि पिछले 1 वर्ष से निर्माण कार्य में लगे संवेदकों का भुगतान लंबित है;	वस्तुस्थिति यह है कि पर्याप्त राशि उपलब्ध है। झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा प्रक्रियात्मक प्रक्रिया को ठीक कर लिया गया है। भुगतान प्रारम्भ किया जा रहा है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए संवेदकों का बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, 23ही तो क्यों ?	उक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(I)-32/2018 217 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

177 222 22/01/2018

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-35
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुंगोरंगामाटी वर्ष 1971 से चल रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक छात्र-छात्राओं की संख्या-273 है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुंगोरंगामाटी वर्ष 2004-05 में उत्क्रमित हुआ है;	स्वीकारात्मक।
4	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुंगोरंगामाटी के 8 कि०मी० के परिधि में एक भी हाई स्कूल नहीं है;	उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुंगोरंगामाटी के निकट परिधि में उच्च विद्यालय पैक संचालित है।
5	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त पर स्थिति स्पष्ट है। यह विचारणीय नहीं है।

22/01/18

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-34/2018 222. रॉंची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18

सरकार के अवर सचिव।

178

221
22/01/2018

श्री रामकुमार पाहन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा स्थित रा०म० विद्यालय, नावागढ़ एवं औरमांझी प्रखण्ड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, बरतुवा को अभी तक उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों के आस-पास 10 कि०मी० की परिधि तक एक भी उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण कई विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ जाता है;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन मध्य विद्यालय, बरतुवा से 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, पिस्का संचालित है। मध्य विद्यालय, नावागढ़ की परिधि में उच्च विद्यालय, मेतलसूद संचालित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों को उत्क्रमित उच्च विद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त में स्थिति स्पष्ट है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-06/2018 221 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

179

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री साधुचरण महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-30

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा अब भी बहुत हद तक पारा शिक्षकों पर निर्भर है एवं इनके सहारे ही चल रहे है, परन्तु पारा शिक्षक आए दिन अपने सेवा के स्थायीकरण एवं वेतन वृद्धि को लेकर धरना, प्रदर्शन, अनशन, आन्दोलन आदि करते रहते है जिससेशिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शिक्षा गारण्टी योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सृज्जितअतिरिक्त पदों पर ही पारा शिक्षक कार्यरत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी करने या मानदेय कम से कम 30,000 /– हजार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पारा शिक्षकों का मानदेय सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार की 60::40 हिस्सेदारी होती है। राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों को प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक के रिक्तियों की भरती में अधिसूचना संख्या-2102, दिनांक 22.10.2014 के अंतर्गत 50 प्रतिशत का कोटा दिया गया है।

अकुसिंह 22/1/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-10/2018......222....../ राँची, दिनांक ..22/..01/......2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 523, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह 22/1/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत किसी भी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय में पी.एच.डी. का प्रावधान नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक है। कोल्हान विश्वविद्यालय के पत्रांक-37 दिनांक-18.01.2018,नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू के पत्रांक-987 दिनांक-12.01.2018 तथा राँची विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक-5379 दिनांक-11.01.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में पी.एच.डी. का प्रावधान है। सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में इसका प्रावधान नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के छात्र-छात्राओं को समाजशास्त्र विषय में पी.एच.डी. करने के लिए राज्य के बाहर जाने को विवश होना पड़ रहा है;	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
3.	क्या यह बात सही है कि कम आय के बच्चे-बच्चियों को बाहर से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार समाजशास्त्र विषय में पी.एच.डी. करने का प्रावधान झारखण्ड के सभी विश्वविद्यालय में शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-02/2018 173 / राँची दिनांक- 22.01.2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-43 दिनांक-08.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री हरिकृष्ण सिंह, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–12 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मनिका विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लातेहार जिला के महुआडाड़ प्रखण्ड अवस्थित नेतरहाट, लोध फॉल गारू प्रखण्ड के सुग्गा बाँध, मिरईया फॉल बरवाडीह प्रखण्ड के मंडल डैम एवं बरवाडीह अवस्थित पहाड़ी मंदिर, राजा मेदिनी राय का किला तथा मनिका प्रखण्ड अवस्थित दुमुहान नदी एवं ग्राम डोंकी अवस्थित छपर बाबा मंदिर अवस्थित है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पर्यटन स्थल पर सालोभर देश विदेश के सैलानी बड़ी तायदार में यहाँ आते हैं;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक नेतरहाट छोड़कर शेष स्थल में अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय पर्यटकों का आगमन नगन्य है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खण्ड–1 में वर्णित सभी पर्यटक स्थलों को विशेष पैकेज देकर विकसित एवं सौन्दर्यीकरण कराने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता एवं पर्यटकों को सुविधा भी होती;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक नेतरहाट को छोड़कर शेष स्थलों की पर्यटन संभावना उच्च स्तर की नहीं है। उच्च स्तर की पर्यटन संभावना होने पर ही रोजगार प्राप्त हो सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पर्यटकों स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विशेष पैकेज देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों/गंतव्यों के समेकित विकास पर प्राथमिकता केन्द्रीत है, जो मुख्यतः नेतरहाट, बेतला, हुण्डरू, जोन्हा, दशम, पंचघाघ, बैद्यनाथ धाम (देवघर), बासुकीनाथ (दुमका), मलूटी (दुमका), चतरातु, रजरप्पा, ईटखोरी, कौलेश्वरी, नेतलसूद, हिरणी, चाडिल, मसानजोर, पारसनाथ आदि है। प्रश्नाधीन स्थलों में से विभाग द्वारा भारत सरकार के स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत **नेतरहाट स्थित Sun Rise Point, Sun Set Point, नेतरहाट बस स्टैंड, नेतरहाट झील, Koel View Point, तथा मिरचईया फॉल पर आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं के विकास पर कार्य चल रहा है। इन स्थलों का विकास भारत सरकार के उक्त योजना के तहत जमशेदपुर–राँची–नेतरहाट–बेतला ईको पर्यटन सर्किट के विकास अंतर्गत विचाराधीन है, जिसका डी०पी०आर० तैयार कराया जा रहा है।** विभाग/सरकार के पास सीमित साधन है। विभाग इस सीमित साधन का उपयोग राज्य में पर्यटन के विकास पर करती है जिसका उद्देश्य अधिकाधिक संख्या में देश–विदेश से राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करना है। अतः विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों से सर्वप्रथम अधिक महत्व के पर्यटक स्थलों के विकास पर विचार किया जाता है। तदोपरांत अवशेष संसाधनों (राशि) से अन्य पर्यटक स्थलों के विकास पर विचार किया जाता है। प्रश्नाधीन अन्य सभी स्थल (सुगाबांध, दुमुहान, गारू, छपर

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के द्वादश (बजट) सत्र में दिनांक 23.01.2018 को प्रो० जयप्रकाश वर्मा, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० उत–24 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न		उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में कोई भी इंजनियरिंग महाविद्यालय (Engineering College) नहीं है;	–	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इंजनियरिंग महाविद्यालय नहीं होने के कारण गिरिडीह जिला के छात्र–छात्राओं को दूसरे राज्यों में जाकर इंजनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है तथा गरीब मजदूर किसान के बच्चे इंजनियरिंग की पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं;	–	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह जिला के बेंगाबाद में जहाँ पर प्रयाप्त जमीन उपलब्ध है इंजनियरिंग महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	–	गिरीडीह जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का सरकार का निर्णय है। राशि की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–01उ0त0/वि0स0–.....04...../18 - 123 /राँची, दिनांक– 26·01·18

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 530 दिनांक 15.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.01.18
(सरकार के अवर–सचिव)

184

223
22/01/2018

श्रीमती मेनका सरदार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-11
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत डुमूरिया प्रखण्डाधीन नरसिंह बहाल +2 विद्यालय भवन पिछले 10 वर्षों से अर्ध-निर्मित अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय में केवल 2 (दो) ही शिक्षक है जबकि छात्रों की संख्या 300 से ऊपर है;	प्रश्नाधीन विद्यालय में 271 छात्र हैं तथा शिक्षकों की संख्या 9 है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 एवं 2 में उद्भूत विषय के आलोक में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा करने तथा सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अर्द्धनिर्मित भवन का कार्य पूर्ण कराने हेतु माननीय सांसद की अध्यक्षता में गठित जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति द्वारा निर्माण एजेन्सी, जिला अभियन्ता, पूर्वी सिंहभूम को निदेश दिया गया है तथा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-13/2018 223 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती जोबा माँझी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-16

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलाके मनोहरपुर प्रखण्ड मुख्यालय क्षेत्र में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय भवन निर्माण कार्य में काफी गड़बड़ी किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि सीपेज पाया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के निर्माण कार्य ठीक से न होने के कारण छात्राओं को काफी कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त आवासीय विद्यालय के निर्माण में सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय मनोहरपुर, जिला- प. सिंहभूम के छत पर एक जगह से सीपेज की समस्या भवन निर्माण के क्रम में पाई गई थी। भवन निर्माण के क्रम में पाई गई त्रुटियों का निराकरण उसी संवेदक के माध्यम से करा लिया गया है। सुधार कराये गये कार्यों के उपरांत छात्राएँ उक्त भवन में विगत तीन माह से आवासन कर रही हैं।

अ0 सिंह 22/01/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ....226........................./ राँची, दिनांक ....22/01/.....2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 340, दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ0 सिंह 22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

186

श्री सुईमन मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–15 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014–15 में पाकुड़ जिला के लीट्टीपाड़ा प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में वृक्षा रोपन का कार्य किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि धरातल पर एक भी पेड़ (पौधा) दिखाई नहीं पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत रानीपुर से लिट्टीपाड़ा पथतट बाँस गैबियन का अग्रिम कार्य तथा 2015–16 में 1200 बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न किया गया जिसका वर्त्तमान में उत्तरजीविता 90% है तथा पौधे की बढत भी अच्छी है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अभिकर्ता एवं देख–रेख करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हों, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–17/2018– 329 व0प0, राँची, दि०– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–541 दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 29/1/2018
सरकार के उप सचिव

187

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती जोबा माँझी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-44

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूँटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में स्थित मौजा-कोटसोना में प्राथमिक विद्यालय अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में एक मात्र प्रधानाध्यापिका के अलावे कोई भी शिक्षक/शिक्षिका का पदस्थापित नहीं होने की वजह से पठन-पाठन बाधित होता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में वर्णित प्राथमिक विद्यालय कोटसोना में एक सहायक शिक्षक/शिक्षिका का पदस्थापित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जिलाशिक्षा अधीक्षक, प. सिंहभूम के ज्ञापांक-159, दिनांक 20.01.2018 के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत श्रीमती सोना मुनी कुमारी देवी, सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय केन्द्र मुण्डी, खूँटपानी का प्रतिनियोजन किया जा चुका है।

(हस्ताक्षर) 22/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/वि2-08/2018-217 राँची, दिनांक 22-01-2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 600, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

188

225
22/01/2018

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-19

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी उच्च-स्तरीय पुस्तकालय नहीं है;	स्वीकारात्मक। उच्च स्तरीय पुस्तकालय की सुविधा राज्य स्तर, प्रमण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में राँची विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत स्नातक स्तर का एक एवं इन्टर स्तर के दो महाविद्यालयों एवं कई एक माध्यमिक स्तर के विद्यालय होने के बावजूद एक भी उच्च-स्तरीय पुस्तकालय नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विद्यालय स्तर पर विद्यालय पुस्तकालय की सुविधा होती है।
3	यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राँची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक उच्च-स्तरीय पुस्तकालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त खण्ड-1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-40/2018 225 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

(189)

श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–वन–14 का उत्तर

क्रमांक	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0वि0स0	उत्तरदाता–श्री चंद्रप्रकाश चौधरी,माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातु प्रखण्ड के ग्राम–पाली में "पाली हिल्स बेवरज प्रा0 लि0 फैक्ट्री" स्थित है, जो बियर बनाने की फैक्ट्री है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले पदार्थ सीधे ग्रामीण नाले में बहा दे रही है जिससे विषैले दुर्गन्ध दर्जनों गाँव होते हुए नलकारी नदी में मिलती है;	अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि नलकारी नदी का पानी प्रदूषित हो गयी है जिससे नलकारी नदी का पानी जानवर पीते है तो यह बीमारी से मर जाते है;	अस्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार "पाली हिल्स बेवरज प्रा0 लि0 फैक्ट्री" को प्रदूषित एवं लोगों को महामारी से बचाने के लिए बन्द या अन्यत्र स्थापित कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो , क्यों?	वस्तु स्थिति यह है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातू प्रखण्ड के ग्राम पाली स्थित पाली हिल्स प्रा0 लि0 के बीयर फैक्ट्री में बीयर के विनिर्माण के उपरांत निष्कर्षित पानी उक्त फैक्ट्री में स्थापित वाटर ट्रिटमेन्ट प्लांट ETP (Effluent Treatment Plant) से फिल्टर कर Recycle किया जाता है। भारत सरकार, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक–440 दि0–13.03.2015 तथा झारखण्ड राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड के पत्रांक–1017 दि0–20.04.2015 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदत्त है। सम्प्रति जुलाई 2017 से इस फैक्ट्री में बीयर का विनिर्माण कार्य बंद है।

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–05 / विधायी–04–05 / 2018– 77 राँची दिनांक– 21-01-2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–544 / वि0स0 दिनांक –15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

190

229
22/01/2018

श्री नारायण दास, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-32
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड क्रमशः देवघर, देवीपुर एवं मोहनपुर में मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दूरी रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	मोहनपुर, देवघर एवं देवीपुर में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में तथा उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय में आवश्यकता के आधार पर उत्क्रमित करते हुए पठन-पाठन संचालित है।
2	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत राजकीयकृत मध्य विद्यालय, भोजपुर को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित तथा देवघर वार्ड संख्या-6 अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने की मांग स्थानीय द्वारा 10 वर्षों से की जाती रही है;	प्रश्नाधीन राजकीय मध्य विद्यालय भोजपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय मचनाटिल्हा तथा 4 किलोमीटर की दूरी पर ही उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रामूडीह संचालित है। इसके अतिरिक्त 3 किलोमीटर की दूरी पर जयपाल सिंह उच्च विद्यालय, देवीपुर अवस्थित है।
3	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के मोहनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, चकरमा, मोहनपुर, उच्च विद्यालय, घोरमारा, उच्च विद्यालय, तपोवन एवं देवघर प्रखण्ड अन्तर्गत बी0एल0 शर्राफ उच्च विद्यालय, देवघर, उच्च विद्यालय, जरीडीह तथा देवीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, रोहिणी को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किये जाने की मांग छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा 10 वर्षों से की जाती रही है;	प्रश्नाधीन उच्च विद्यालयों से +2 विद्यालय की दूरी निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	उच्च विद्यालय का नाम	+2 विद्यालय का नाम	उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय की दूरी
1.	प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, चकरमा, मोहनपुर	+2 उच्च विद्यालय, मोहनपुर	2 किलोमीटर
2.	उच्च विद्यालय, घोरमारा	+2 उच्च विद्यालय, मोहनपुर	8 किलोमीटर
3.	उच्च विद्यालय, तपोवन	आर. मित्रा +2 विद्यालय देवघर	7 किलोमीटर
4.	बी0एल0 शर्राफ उच्च विद्यालय, देवघर	इस विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमण किया जा चुका है।	
5.	उच्च विद्यालय, जरीडीह	आर. मित्रा +2 विद्यालय देवघर	6 किलोमीटर
6.	उच्च विद्यालय, रोहिणी	आर. मित्रा +2 विद्यालय देवघर	3 किलोमीटर

4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों को मध्य व उच्च विद्यालय में उत्क्रमित	उक्त सभी मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालय उत्क्रमण की अर्हता पूरी नहीं करते। अतः इन सभी का उत्क्रमण करना विचारणीय नहीं है।

	एवं खण्ड-2 में वर्णित विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-36/2018 229 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती गीता कोड़ा, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-14

	प्रश्न	उत्तर
क्रमांक	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर विधान सभा क्षेत्राधीन किसी भी सरकारी विद्यालयों में तड़ित चालक (प्रतिरोधी) यंत्र नहीं है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित तड़ित प्रतिरोधी यंत्र का नहीं होने से विद्यालय भवनों में अक्सर वज्रपात होते रहता है जिससेबच्चे असमय मौत के गाल में समा जाते है;	वस्तुस्थिति यह है कि अब तक पश्चिमी सिंहभूम जिलेके विद्यालयों में वज्रपात से किसी भी अप्रिय घटना/हताहत की सूचना प्रतिवेदित नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विधान सभा क्षेत्राधीन सभी सरकारी विद्यालयों में तड़ित प्रतिरोधी यंत्र लगाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में विद्यालय भवनों में तड़ित चालक लगाने का प्रावधान भवन निर्माण के प्राक्कलन में किया गया था। उप.महालेखाकार (SS-I) झारखण्ड के पत्रांक-SS-I/DP Cell/33, दिनांक 11.06.2014 द्वारा एक तलीय विद्यालय भवनों में झारखण्ड लोक निर्माण संहिता के नियम 11 के आलोक में तड़ित चालक लगाने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी। जिसकारण सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत विद्यालयों में तड़ित चालक लगाने का कार्य बंद कर दिया गया। वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विद्यालयों में तड़ित चालक लगवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

22/1/18

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/वि.2-18/2018..........220................./ राँची,दिनांक ....22/01/....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 148, दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-27

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड मुख्यालय तथा देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि महिला महाविद्यालय नहीं रहने से स्थानीय छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक है। इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिए निकटवर्ती महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमुआ प्रखण्ड मुख्यालय तथा देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में एक महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में जमुआ प्रखण्ड एवं देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में महिला महाविद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-24/2018.....162...../ रांची दिनांक-.....22.01.2018...../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-599 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–21 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के देवरी प्रखण्ड अन्तर्गत प्राचीन एवं एतिहासिक मन्दिर देवपहाड़ी का अबतक पर्यटक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि देवपहाड़ी मन्दिर में पर्यटनीय विकास नहीं होने से वहाँ आने वाले प्रति वर्ष लाखों श्रधालुओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	2.	**अस्वीकारात्मक** यह एक धार्मिक स्थल है, जो वर्तमान में स्थानीय प्रकृति का पर्यटक स्थल की श्रेणी में आता है तथा इसकी पर्यटकीय संभावना अधिक नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या देवपहाड़ी मन्दिर का पर्यटन क्षेत्र घोषित कर पर्यटनीय विकास करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	स्थानीय पर्यटक स्थलों के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिला के सरकारी अधिकारियों के साथ–साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि (सांसद/विधायक/जिला परिषद आदि) सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति, गिरिडीह को इस प्रकृति के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु 100 लाख रुपया Untied fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया था, जिससे प्रश्नाधीन स्थल को विकास हेतु प्राथमिकता में शामिल नहीं किया गया है। भविष्य में पर्यटन संभावना के अनुसार उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण इत्यादि का कार्य जिला पर्यटन संवर्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/20/2018 152 /राँची, दिनांक 22/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–601/वि०स०, दिनांक–15/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand tourism

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-09

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जर्जर भवन वाले स्कूलों की मरम्मति नहीं होने से विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए खतरे की संभावना बनी रहती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण करने हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् को अनुदान के तहत आवश्यकता आधारित भवन उपलब्धता की योजना है। इसके अतिरिक्त जर्जर विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार के लिये भवन निर्माण विभाग द्वारा भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में राशि के अभाव के कारण स्कूल प्रबंधन या संबंधित विभागीय पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं;	कंडिका- 1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के जर्जर भवन वाले स्कूलों की मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

अरु सिंह
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि02-03/18 229 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 149, दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अरु सिंह
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

डा० जीतु चरण राम, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–13 का प्रश्नोत्तरः

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि काँके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बुढ़मू और काँके प्रखण्ड के बीच में धोड़धोड़ा नदी अवस्थित है, जिसमें भोलेनाथ बाबा का उद्गम स्थल पाया गया है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि इस स्थल में आये दिन दर्शनार्थियों का आवागमन बना रहता है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक स्थानीय लोग पूजा–अर्चना करने आते है।
3.	क्या यह बात सही है कि धोड़धोड़ा नदी में पर्यटन स्थल बनाने से यहाँ के स्थायी लोगों को रोजगार से जोड़ेगा तथा शक्ति स्थल के रूप में विकसित होगा;	3.	अस्वीकारात्मक वर्तमान में इस स्थल की पर्यटन संभावना नगन्य है। स्थल की पर्यटन संभावना उच्च स्तर का होने पर ही पर्यटन से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धोड़धोड़ा नदी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	वर्तमान में स्थल का पर्यटन संभावना नगन्य है, भविष्य में पर्यटकीय संभावना होने पर उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण इत्यादि का कार्य जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/13/2018 150 /राँची, दिनांक 22/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–333/वि०स०, दिनांक–13/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-02

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के कोयलांचल बेरमो प्रखण्ड अन्तर्गत राम बिलास +2 उच्च विद्यालय में माईनिंग सर्वेयर एवं माईनिंग सरदार के लिए द्विवर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसका प्रमाण-पत्र डी०जी०एम०एस०, धनबाद द्वारा निर्गत किया जाता था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राम बिलास +2 उच्च विद्यालय में तकनीकी कारण (अहर्त्ता पूरी नहीं करने के कारण) विगत चार वर्षों से बंद पड़े पाठ्यक्रम के चलते उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न कोयलांचलों में काम करने के इच्छुक युवाओं एवं कोयलांचल, बेरमो वासियों में गहरी निराशा है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि सी०सी०एल० परिक्षेत्र में संचालित के०बी० कॉलेज, बेरमो उक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संचालन के लिए सभी अहर्त्ताओं को पूरा करता है;	वस्तु स्थिति यह है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु के०बी० कॉलेज, बेरमो अपेक्षित अहर्त्ता पूरा नहीं करता है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम को के०बी० कॉलेज, बेरमो में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को डिग्री स्तर पर इसी शिक्षण सत्र से शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अपेक्षित अहर्त्ता पूरा नहीं करने के कारण के०बी० कॉलेज, बेरमो में माईनिंग सर्वेयर एवं माईनिंग सरदार का पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 5/वि०स०-05/2018 172 / रांची दिनांक- 22-01-2018

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-104 दिनांक-09.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22-01-18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

197

227
22/01/2018

श्री राज कुमार यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-23

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रखण्ड धनवार तिसरी एवं प्रखण्ड गांवा के मॉडल विद्यालयों में सृजित पदों के अनुरूप शिक्षक कार्यरत नहीं हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड गांवा में मॉडल विद्यालय के भवन निर्माण के बाद भी आजतक नये भवन में पढ़ाई शुरू नहीं किया गया है;	आंशिक अस्वीकारात्मक। कुछ दिन नये विद्यालय भवन में पढ़ाई नहीं हुई थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिवेदन के अनुसार वर्त्तमान में पठन-पाठन संचालित है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मॉडल विद्यालयों में सृजित पदों के अनुरूप शिक्षकों के नियुक्त नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति तथा निकटतम् के +2 विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से पठन-पाठन किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर तथा गांवा प्रखण्ड के नये मॉडल विद्यालय भवन में चालू वित्तीय वर्ष में पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के सभी 89 मॉडल विद्यालयों में 979 पदों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। स्थापित प्रक्रिया के पूर्ण होने पर शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-25/2018 227 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-12

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला मुख्यालय में लड़कियों के लिए एक मात्र राम कृष्ण महिला महाविद्यालय एवं लड़कों के लिए गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह अवस्थित है, जहाँ अबतक मात्र स्नातक स्तर की ही पढ़ाई होती है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह में छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए महाविद्यालय में पढ़ाई होती है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित जिला में वर्षों से छात्र-छात्राओं द्वारा स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की मांग की जाती रही है। वर्णित महाविद्यालय में अबतक स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई है, जबकि उक्त दोनों महाविद्यालय स्नातकोत्तर पढ़ाई की सारी अर्हत्ताएँ पूरा करती है;	गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह में शैक्षणिक सत्र 2016-18 से अंग्रेजी, गणित एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर की भी पढ़ाई होती है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित जिला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने के कारण प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सैकड़ों छात्र-छात्राएँ उक्त पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं;	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-2 में सन्निहित है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड-1 में वर्णित महाविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	गिरिडीह महाविद्यालय, गिरिडीह में स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। राम कृष्ण महिला महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–17/2018 167 / रांची दिनांक- 22.01.2018 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-331 दिनांक-13.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

199

218
22/01/2018

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-सि-01

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के मॉडल स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से कक्षा छठवीं से आठवीं तक के सिलेबस बदले गये हैं;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावां जिले के मॉडल स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के आठ माह बीत जाने के बाद भी छात्रों को नये सिलेबस पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध नहीं करायी गयी है;	पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। राशि डी.बी.टी. के माध्यम से भेजा गया है।
3	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावां जिले के मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरायकेला-खरसावां जिले के मॉडल स्कूलों में कमी को दूर करने एवं छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के 89 मॉडल विद्यालयों में शिक्षकों का पद सृजित कर लिया गया है। प्रत्येक विद्यालय में 11 पद स्वीकृत किये गये हैं। 979 रिक्त पदों की अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है तथा नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिये गये हैं।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-03/2018 218 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

200

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत औरमांझी प्रखण्ड के ग्राम रूक्का में श्री रानी सती नामक राईस मील स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त राईस मिल से निकलनेवाला केमिकल/कचड़ा से पुरा गाँव का वातावरण प्रदुषित हो गया है तथा मिल का कचड़ा रूक्का डैम में जाने से डैम का पानी दूषित हो रहा है एवं आसपास के गाँवों के कुआँ एवं तलाबों का पानी खराब हो रहा है तथा रा0उ0म0वि, रूक्का के बच्चों का स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है ;	इस विषय पर जाँच करायी जा रही है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राईस मिल पर जाँच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–03/2018– 333 व0प0, राँची, दि०– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–108 दिनांक–09.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 20/01/2018
सरकार के उप सचिव

201

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वन समिति/इको विकास समिति का गठन एवं अधिकार के नियमों को सरकार द्वारा केवल संकल्प के आधार पर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा केवल संकल्प के आधार पर वन समिति/इको विकास समिति का गठन एवं अधिकार दिये जाने से उनको वन उत्पाद एवं सड़क निर्माण में हो रहे वृक्ष का पातन से उनका हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामवासियों की लघु वन उत्पादों में हिस्सेदारी उनके पारंपरिक अधिकार एवं वन विदोहन की Sustainability के आधार पर तय होती है। जहाँ तक सड़क निर्माण में पड़ने वाले वृक्षों का प्रश्न है, वे अधिकांश गैर वन भूमि (रैयती/गैरमजरूआ) में पड़ते हैं। ऐसी भूमि पर अवस्थित वृक्षों से ग्राम वन प्रबंधन सुरक्षा समिति को किसी प्रकार का राजस्व/प्रकाष्ठ देने का प्रावधान नहीं है। जहाँ तक वन भूमि पर किये गये पातन से प्राप्त राशि का संबंध है, केन्द्र सरकार से यह दिशा–निर्देश माँगा जा रहा है कि इस राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में वन समिति/इको विकास समिति को अधिकार एवं हिस्सेदारी दिलाने के लिए संकल्प के जगह पर नियम को कार्यकारी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	अंश–2 में दिये गये उत्तर के आलोक में इसकी आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–02/2018– 334 व0प0, राँची, दि०– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–101 दिनांक–09.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 22/01/2018
सरकार के उप सचिव

202

225
22/01/2018

श्रीमती गीता कोड़ा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-13

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर विधान सभा क्षेत्राधीन उच्च विद्यालयों में 10वीं कक्षा की छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण विलंब से किया गया है;	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 3408 दिनांक 31.12.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में सरकारी विद्यालयों के कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की नामांकित एवं अध्ययनरत् वैसी छात्रायें, जिनकी उपस्थिति 50 प्रतिशत न्यूनतम् हो, के बीच पोशाक, कॉपी एवं पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। पोशाक एवं कॉपी की राशि छात्राओं के खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है। पुस्तक विलम्ब से वितरित किया गया।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित उच्च विद्यालयों में केवल 10वीं कक्षा की छात्राओं के बीच ही पुस्तकें वितरित की गई है जबकि उसी कक्षा के छात्रों को वंचित कर दिया गया;	विभागीय संकल्प के अनुसार 50 प्रतिशत उपस्थिति वाली छात्राओं को ही यह सुविधा उपलब्ध करायी जानी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समय पर सरकारी उच्च विद्यालयों के 10वीं कक्षा की छात्र-छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा खण्ड-1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-14/2018 235 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

203

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-09

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज उत्तरी संथाल परगना का सुदूरवर्त्ती जिला है, जहाँ से दुमका की दूरी 160 कि०मी० है;	अंशतः स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग छात्र-छात्राओं तथा स्थानीय अभिभावकों द्वारा राज्य गठन के बाद से ही की जाती रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय की अत्यधिक दूरी रहने के कारण जिला अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड उथवा में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने के मांग राज्य गठन के बाद से होते रही है, क्योंकि जिला मुख्यालय से उधवा प्रखण्ड मुख्यालय की दूरी 65 कि०मी० है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-2 में जिला मुख्यालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय तथा खण्ड-3 में वर्णित प्रखण्ड अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय स्थापित कर स्थानीय छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक सुविधा दिलाने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	साहेबगंज में अलग से विश्वविद्यालय स्थापना का कोई निर्णय नहीं है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्नातक स्तर के शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत साहेबगंज जिला मुख्यालय में साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज तथा BLNL Bohra College, राजमहल में डिग्री स्तर की पढ़ाई की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त साहेबगंज में एक महिला महाविद्यालय एवं राजमहल में मॉडल महाविद्यालय की स्वीकृति दी गई है। प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-14/2018.166......./ रांची दिनांक- 22.01.2018......./

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-332 दिनांक-13.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–05 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान–सभा क्षेत्र में कन्हरी पहाड़ अवस्थित है जो उक्त क्षेत्र का बहुत ही रमणित स्थल के रूप में विख्यात है जहां हजारों–हजार लोग प्रतिदिन घुमने आते है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्थल को सरकार पर्यटक स्थल के रूप में खूँटी जिला में अवस्थित मृग विहार के तर्ज पर विकसित करने से यहां सालोंभी अन्य जिलों से भी पर्यटको का आना–जाना होगा जिससे उक्त क्षे. के लोगों को रोजगार के साथ–साथ सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी ;	वर्ष 2004 में कनहरी पहाड़ को मृग सफारी बनाने का प्रस्ताव केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण्ण भारत सरकार को भेजा गया था परन्तु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी थी।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–1 में वर्णित स्थल को खूंटी जिला में अवस्थित मृग विहार की तर्ज पर विकसित करने का विचार रखती है ? हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–09 / 2018– 331 व0प0, राँची, दि०– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–321 दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 20/01/2018
सरकार के उप सचिव

205

236
22/01/2018

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-18

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के उच्च विद्यालय डांडे पोड़ैयाहाट एवं सुण्डमारा तथा दुमका जिला के उच्च विद्यालय, सरैयाहाट को +2 विद्यालय की स्वीकृति दी गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त सभी +2 उच्च विद्यालयों में भवन शिक्षकों की कमी एवं समुचित विज्ञान प्रयोगशाला के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को नहीं मिल पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। +2 उच्च विद्यालय डांडे में 7 कमरे, +2 उच्च विद्यालय, सुण्डमारा में 9 कमरे तथा +2 उच्च विद्यालय, सरैयाहाट में 12 कमरे उपलब्ध हैं। +2 उच्च विद्यालय डांडे में 3 शिक्षक, +2 उच्च विद्यालय, सुण्डमारा में 4 शिक्षक तथा +2 उच्च विद्यालय, सरैयाहाट में 5 शिक्षक उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों के माध्यमिक शाखा के शिक्षकगण द्वारा भी +2 स्तर पर पठन-पाठन किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी +2 उच्च विद्यालयों में उपरोक्त कमियों के कारण 2017 का परीक्षा परिणाम काफी खराब रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भवन निर्माण शिक्षकों का पदस्थापन एवं Science Lab का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	+2 विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण आवश्यकता आधारित किया जाता है। साथ ही +2 स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-22/2018 236 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

206

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती मंगोबी कुजूर, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-10

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी स्कूलों में अग्नि शमन यंत्र की खरीदारी प्रतिवर्ष या नियमित अंतराल पर की जाती है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अग्नि शमन यंत्र का क्रय विद्यालय विकास कोष से किए जाने का प्रावधान है;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त यंत्र की खरीदारी के लिए विभागीय स्तर से विद्यालय विकास कोष में राशि का आवंटन नहीं किया गया है और इससे स्कूलों में सुरक्षा का खतरा बना हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय विकास कोष की राशि का आवंटन किया जा चुका है।
4.	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित राशि का आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त तीनों खण्डों में निहित है।

अवर सचिव
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 15/वि.2-02/2018-221 रॉची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 193, दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

207

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री राधाकृष्ण किशोर मा0 स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न शि0–36 :–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	डॉ0 नीरा यादव, माननीया मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–1418, दिनांक–18.10.2017 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध विभागीय कार्यों का ससमय निष्पादन नहीं करना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के रोकड़ पंजी का संधारित नहीं पाया जाना, वित्तीय कार्यों को समय पर निष्पादित नहीं करने के अतिरिक्त अन्य 09 बिन्दुओं के प्रति घोर कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही के विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित कर सरकार को अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–1418 दिनांक–18.10.2017 द्वारा सुश्री मीना कुमारी राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध 12 बिन्दुओं पर आरोप गठित करते हुए प्रपत्र 'क' विभाग को उपलब्ध कराया गया है। विभागीय पत्रांक–785 दिनांक–23.11.2017, 831 दिनांक–11.12.2017 द्वारा सुश्री राय से प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों के आलोक में स्पष्टीकरण की माँग की गई। सुश्री राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के पत्रांक–1496 एवं 1497 दिनांक–26.12.2017 द्वारा विभाग को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। सुश्री राय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अन्य पदाधिकारियों/ कर्मियों के विरूद्ध असहयोग करने का आरोप लगाया है। अतः सुश्री राय के स्पष्टीकरण के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अंकनीय है कि सुश्री राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू का स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभागीय अधिसूचना संख्या–62 दिनांक–15.03.2017 द्वारा किया गया था। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) NO. 1798/2017 में दिनांक–08.05.2017को पारित न्यायादेश में उक्त निर्गत विभागीय अधिसूचना को निरस्त करते हुए यथास्थिति बहाल रखने का आदेश पारित किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपायुक्त, पलामू के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध प्रपत्र "क" के प्रेषण के आलोक में कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त गठित समिति से प्राप्त समीक्षा प्रतिवेदन के आलोक में सुश्री राय के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।

22.1.18
(असीम किस्पोट्टा)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक– 59 राँची, दिनांक– 22-01-18

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 521 दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.1.18
(असीम किस्पोट्टा)
सरकार के उप सचिव

श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-23

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विगत 2017 में कोडरमा जिलान्तर्गत चंदवारा में डिग्री कॉलेज स्थापना की स्वीकृति दी गयी है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज का अपना भवन के अभाव में डिग्री कॉलेज का संचालन अबतक प्रारंभ नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	कोडरमा जिला अन्तर्गत चन्दवारा अंचल में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निर्माण कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाना है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-23/2018 163 / रांची दिनांक- 22.01.2018 /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-533 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–17 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू टाईगर प्रोजेक्ट बेतला में विगत 25 वर्षों से 55 में से 51 बाघ गायब हो गये है ;	25 वर्ष पूर्व 1992 की पग मार्क आधारित गणना में कुल 55 बाघ पाये गये थे। विगत वर्षों में Pugmark Census Method के आधार पर गणना की जाती थी। वर्ष 2006 के उपरान्त गणना का कार्य वैज्ञानिक विधि से होना प्रारम्भ हुआ है। वर्ष 2006 से पूर्व भारत में बाघों की कुल संख्या–3500 माना जा रहा था, परन्तु जब वैज्ञानिक ढंग से अनुश्रवण का कार्य किया गया तो यह संख्या घटकर 1406 हो गई। तदोपरान्त यह स्वीकार किया गया कि वर्ष 2006 से पूर्व जो भी गणना का परिणाम था, वह वास्तविकता पर आधारित नहीं था बल्कि उसमें एक ही बाघ की गणना कई बार हो जाती थी। वर्ष 2014 से 2017 के मध्य पलामू व्याघ्र आरक्ष से कुल–54 मल–सैम्पल (Scat) Wildlife Institute of India, देहरादून को DNA analysis के लिए भेजे गये थे, जिसमें 6 विशिष्ट बाघ (Unique Tiger) होने की पुष्टि हुई है।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2003 में बाघों की संख्या–36 से बढ़कर 38 हुई थी और पिछले दस वर्षों में 30 बाघ गायब हो गये है ;	
(3) क्या यह बात सही है कि बाघ संरक्षण के नाम पर विगत 10–12 वर्षों में 50 करोड़ खर्च किया गया है एवं वर्ष 2017–18 में 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है ;	स्वीकारात्मक। विगत 10–12 वर्षों में 50 करोड़ से अधिक एवं वर्ष 2017–18 में 7 करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विभाग द्वारा इतनी अधिक राशि का व्यर्थ व्यय को लक्षित व्यय में बदलने एवं बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू व्याघ्र आरक्ष में आवंटित राशि का लक्षित व्यय वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों के पर्यावास के संवर्द्धन एवं स्थानीय ग्रामिणों को वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रति अधिक जागरूक बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। बाघों की संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–19/2018– 327 व0प0, राँची, दि०– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–539 दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-18 V.K

210

232
23/01/2018

श्री मानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-19

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के केतार प्रखण्ड अन्तर्गत पाचाडुमर, प्रखण्ड समना, विशुनपुरा एवं भवनाथपुर अन्तर्गत कैलाव में छात्र-छात्राओं के लिए मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। आवश्यकता आधारित विद्यालयों का उत्क्रमण किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को अन्यत्र या स्थापना अनुमति विद्यालय में हाई स्कूल के पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त सभी प्रखण्डों के विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् वरणबद्ध तरीके से उच्च विद्यालयों की सुविधा निर्धारित मापदंड के अनुरूप उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

23/1/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-27/2018 232. राँची, दिनांक 23/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/01/18
सरकार के अवर सचिव।

2-11

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री शिवशंकर उराँव, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-12

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मिड-डे मिल के रसोईघरों को धुँआ रहित एवं आधुनिक बनाने के लिए एल.पी.जी. गैस कनेक्शन देने के लिए 39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इस प्रावधित योजना के तहत राज्य के किसी एक विद्यालय में भी ऐसा एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं किया गया;	अस्वीकारात्मक। राज्य के कुल 2065 विद्यालयों पूर्व से एल.पी.जी. कनेक्शन है।
3.	क्या यह बात सही है कि यह योजना विगत नई माह में बनी थी और सभी विद्यालयों में धुँआ रहित रसोईघर बनाने पर विद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चों को धुँआ से निजात मिलेगा और वे अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे और रसोई तैयार करने वाले कर्मियों को भी परेशानी नहीं होगी;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि इस महत्वपूर्ण योजना को वित्त विभाग ने क्रियान्वित होने से रोक दिया है;	अस्वीकारात्मक। राशि की निकासी प्रक्रियाधीन है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के हित में तमाम विघ्न-बाधाओं को दूर करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

अकु सिंह
20/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक ..... 212 ..... / राँची, दिनांक 20/1/ 2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 148, दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकु सिंह
20/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

212

230
22/01/2018

प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-07

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षक की पदस्थापन के अभाव में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 06, महेशपुर के प्रखण्ड महेशपुर के उच्च विद्यालय, बिरकिटी में लगभग 1500 अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के बावजूद भी विषयवार शिक्षक की पदस्थापना तो दूर रही मात्र 01 (एक) ही शिक्षक पदस्थापित है, जिसके कारण भावी छात्र-छात्राएं विषयवार सही ज्ञान हासिल करने से वंचित होने के लिए मजबूर हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। छात्रों की संख्या 414 है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार होनहार छात्र-छात्राओं के भविष्य के मद्देनजर उक्त विद्यालय में विषयवार शिक्षक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 17864 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है तथा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त शिक्षकों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-10/2018 230 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

(213)

श्री साधुचरण महतो, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-20

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावाँ जिला के चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र का एकमात्र डिग्री संस्थान-सिंहभूम कॉलेज, चाण्डिल ही है, परन्तु इस कॉलेज के नाम से एक इंच भी जमीन नहीं है, जिससे कॉलेज का अपेक्षाकृत विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है;	अस्वीकारात्मक है। इस महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार द्वारा 18.53 एकड़ भूमि आवंटित है। भूमि का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में सिंहभूम कॉलेज, चाण्डिल के बगल में स्थित सरकारी जमीन को सारी प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए कॉलेज के नाम से भूमि हस्तांतरित कराने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-20/2018..165......./ राँची दिनांक-22.01.2018........./

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-532 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 23.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या -टन-07 का उत्तर-

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड रांची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि धनबाद में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण 4 करोड़ 83 लाख से मार्च, 2007 में शुरू हुआ था, जिसे मार्च 2009 में पूर्ण कराना था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त राशि खर्च करने के बाद भी आज तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है, अब राशि बढ़कर लगभग 7 करोड़ हो गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अद्यतन योजना में रू० 3,56,25,726/- का व्यय किया गया है। अनुसूचित दरों में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता पड़ी। तदनुसार प्राक्कलित राशि में वृद्धि हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ कब तक, नही तो क्यों ?	जिला द्वारा योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षण का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिस क्रम में कतिपय सूचनाओं की मांग की गई है। साथ ही योजना के जाँच हेतु एक समिति गठित की गई है। जिला से प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त योजना पूर्ण करने की दिशा में कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०-07/2018 160 / रांची, दिनांक

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रांची को उनके पत्रांक 334/वि०स० दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

झारखण्ड, रांची।

(215)

श्री शिवशंकर उराँव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-07

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कई डिग्री महाविद्यालयों का संचालन हो रहा है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि ऐसे सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के स्वीकृत पदों की भारी कमी है, जिसके कारण विद्यार्थियों का पठन-पाठन एवं गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति शासी निकाय (GB) के द्वारा की जाती है। पठन-पाठन एवं गुणवत्ता की जिम्मेवारी शासी निकाय (GB) की होती है।
3.	क्या यह बात सही है कि ऐसे महाविद्यालयों द्वारा छात्रों की संख्या के अनुरूप विषयवार व्याख्याताओं के पद सृजन प्रस्ताव विश्वविद्यालयों के माध्यम से सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। कतिपय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के पद सृजन संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में समीक्षोपरांत वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-3903 दिनांक-20.11.2014 के आलोक में पद सृजन संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निदेश विभागीय पत्रांक-2702 दिनांक-22.11.2017 द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया गया है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ऐसे डिग्री महाविद्यालयों में अध्ययरत विद्यार्थियों के हित में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रस्तावित पदों की स्वीकृति हेतु समुचित कदम उठाने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-3 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-10/2018 169 / रांची दिनांक- 22.01.2018 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-151 दिनांक-10.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

216

228
22/01/2018

श्री चम्पाई सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-16

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय डुडरा वर्ष 2012-13 में भवन की स्वीकृति हुई थी, जिसकी प्राक्कलित राशि 54,06,000/- मानक थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अब तक नहीं हो पाया है;	स्वीकारात्मक। भूमि विवाद के कारण कार्य ले आउट के बाद आगे नहीं बढ़ा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् को निदेशित किया जा रहा है कि इसकी जांच कराकर दोषियों को चिन्हित कर समुचित कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण का कार्य नियमानुसार शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-41/2018 238 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

218

श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 23.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–02 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री योगेश्वर महतो, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के आर्थिक रूप से पिछड़े 17 ग्रामीण पंचायत के प्रखण्ड जरीडीह में आज तक एक भी खेल स्टेडियम नहीं रहने के कारण होनहार ग्रामीण खिलाड़ी प्रतिभागियों को अभ्यास करने एवं आगे बढ़ने में काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.12 में यह निदेश प्राप्त था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक–एक स्टेडियम बनाया जाए जिसका अनुपालन करते हुए बेरमो विधानसभा क्षेत्र के बेरमो तथा चन्द्रपुरा में एक–एक प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम स्वीकृत है। प्रखण्ड स्तर पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों में भी बड़े मैदान उपलब्ध होते है जिसका उपयोग खिलाड़ी कर सकते है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जरीडीह प्रखण्ड में खेल स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	बजटीय प्रावधानारूप नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–02/2018 158 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 103/वि०स० दिनांक 09.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(219)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के द्वादश (बजट) सत्र में दिनांक 23.01.2018 को श्री राज सिन्हा, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद में विज्ञान भवन एवं तारामण्डल बनाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2002 को मिली थी जिसके लिए 41 लाख 40 हजार आवंटित किये गये थे;	– स्वीकारात्मक। राशि रू0 40,99,750/– विमुक्त की गई थी।
2. क्या यह बात सही है कि विगत 16 वर्षों से विज्ञान भवन एवं तारामण्डल भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है तथा जीर्ण अवस्था में आ गया है;	– स्वीकारात्मक। 16 वर्षों के दरम्यान बार–बार उपायुक्त को पत्र निर्गत कर कार्य पूरा करने हेतु स्मारित किया जाता रहा है। दिनांक 14.05.2015 को माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी की बैठक में लंबित विज्ञान केन्द्रों के शेष बचे कार्यों की अंतिम मापी कर बंद करने एवं शेष कार्य का पुनः DPR तैयार कर यथाशीघ्र कार्य नये सिरे से पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी संदर्भ में उपायुक्त धनबाद को पत्र प्रेषित कर कार्य का अंतिम मापी करने हेतु अनुरोध किया गया था। दिनांक 11.07.2017 को कार्यकारिणी की बैठक में धनबाद केन्द्र को भारतीय खनन् संस्थान द्वारा विकसित करने का निर्णय लिया गया।
3. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में कलकत्ता के सेन्टर म्यूजियम डिजाइनर के विशेषज्ञ के द्वारा निरीक्षण किया गया था, किन्तु अधूरे भवन के कारण तारामण्डल का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका;	– दिनांक 24.11.2015 को विभागीय सचिव–सह–सदस्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही की कंडिका 2 में निर्णय लिया गया कि बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, हजारीबाग एवं डाल्टेनगंज के निरीक्षण क्रियेटिव म्युजियम डिजाईनर, कोलकता के द्वारा किया जाएगा। एवं DPR तैयार करने का निर्णय लिया गया, तदनुसार प्रबंध निदेशक CMD को पत्र निर्गत किया गया।
4. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण पूर्ण करते हुए विज्ञान भवन एवं तारामण्डल भवन का निर्माण कार्य करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– धनबाद मे विज्ञान भवन एवं तारामण्डल भवन का शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु ISM IIT (भारतीय खनन् संस्थान) धनबाद को हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु हस्तांतरण की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपाल हाऊस, डोरन्डा, राँची

ज्ञापांक–01उ0त0/वि0स0–...03.../18 – 132 /राँची, दिनांक– 22·01·18

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 330 दिनांक 13.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22·1·18

220

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–04 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि लोहरदगा नगर पर्षद क्षेत्र के अन्तर्गत शहर के बीचो–बीच हिण्डालको कम्पनी का लगभग 7 एकड़ जमीन में बॉक्साइट डम्पिंग यार्ड अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि शहर के बीचो–बीच डम्पिंग यार्ड खुलने से लोहरदगा शहर एवं आस–पास के क्षेत्र में जल संकट गहराया है, तथा प्रदुषण से लोग ग्रसित हो रहे है, जिसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है ;	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 का लोहरदगा बॉक्साइड डम्पिंग यार्ड/रेलवे साईडिंग वर्ष 1948 से कार्यरत है। लोहरदगा बॉक्साइड डम्पिंग यार्ड/रेलवे साइडिंग में जल खपत केवल वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु है। हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा डम्पिंग यार्ड से उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था की गई है। लोहरदगा शहर एवं आस–पास के क्षेत्र में जल संकट संबंधी प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग से अप्राप्त है। इसी प्रकार लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव संबंधी प्रतिवेदन स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से अप्राप्त है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरदगा शहर में स्थित हिण्डालको के डम्पिंग यार्ड को अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	मेसर्स हिण्डालको ने झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचित किया है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के नये डाम्पिंग यार्ड की स्थापना मौजा–बड़की चापी में प्रस्तावित है एवं इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–04/2018– 332 व0प0, राँची, दि0– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–144 दिनांक–10.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/01/2018
(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-18 V.K

222

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 23.01.2018 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–15 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य वॉलिबॉल प्रशिक्षण केन्द्र मैक्लुस्कीगंज में स्थित है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं०–28 सहपठित ज्ञापांक 805 दिनांक 24.10.2014 द्वारा मैक्लुस्कीगंज में वॉलीबॉल (बालक एवं बालिका) डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत है, परन्तु यह केन्द्र वर्तमान में संचालित नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय अधिसूचना सं०–28–सह पठित ज्ञापांक 805 दिनांक 24.10.2014 द्वारा आवासीय / Day Boarding प्रशिक्षण केन्द्र अधीस्थापित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि वॉलिबॉल प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय तथा खाने की सुविधा बंद कर देने से प्रशिक्षण केन्द्र बंद हो गया है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विश्वविख्यात मैक्लुस्कीगंज में विभागीय अधिसूचना 28 सह ज्ञापांक 805 दिनांक 24.10.14 द्वारा राज्य स्तरीय वॉलिबॉल प्रशिक्षण केन्द्र मैक्लुस्कीगंज में आवासीय विद्यालय तथा खाने की सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	मैक्लुस्कीगंज में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल (बालक / बालिका) आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 से यह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य० / वि०स०–18 (क) / 2018 159 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 536 / वि०स० दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

223

श्री विकास कुमार मुण्डा, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 23.01.2018 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–18 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री विकास कुमार मुण्डा, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी आउटडोर स्टेडियम नही है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आउटडोर स्टेडियम नही होने की वजह से बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी प्रैक्टिस से वंचित रह जाते है;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस विधान सभा क्षेत्र में डे–बोर्डिंग प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है जहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। जिला तथा प्रखण्ड स्तरों पर अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय एवं अन्य जगहों पर स्टेडियम/खेल मैदान उपलब्ध होते है, जिनका उपयोग स्थानीय खिलाड़ी कर सकते है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	बजटीय प्रावधानानुरूप नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–18 (ख)/2018 153 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 538/वि०स० दिनांक 15.01.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.1.18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

224

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 23.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–14 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज स्थित ऐतिहासिक खेल मैदान को कब्जा की जा रही है;	अस्वीकारात्मक। खतियान एवं पंजी–II के अनुसार भूमि खाता–87 एवं प्लॉट– 1055 है, जो रैयती भूमि है और वर्तमान में परती है।
2	क्या यह बात सही है कि आजादी के पूर्व से मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र के सभी विद्यालयों तथा उस क्षेत्र के सभी खेल संबंधित कार्यक्रम इसी मैदान में होता रहा है एवं पूर्व में खिलाड़ियों के सामान रखने के लिए सामुदायिक भवन काफी पूर्व बना है साथ ही मध्य विद्यालय लपरा इसी मैदान के पश्चिम में स्थित है;	आंशिक स्वीकारात्मक। भूमि परती रहने के कारण स्कूल के बच्चों द्वारा खेलकूद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उक्त भूमि के पूरब में एक सामुदायिक भवन स्थित है, जो काफी जर्जर स्थिति में है। मध्य विद्यालय लपरा इसी मैदान में अवस्थित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक खेल मैदान के भूमि सरकारी व्यवस्था से भू–अधिग्रहण कर ऐतिहासिक खेल मैदान अवैध को कब्जों से मुक्त कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सर्वे खतियान एवं पंजी–II के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाता से संबंधित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–17/2018 154 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 535/वि०स० दिनांक 15.01.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

225

226
22/01/2018

श्री हरिकृष्ण सिंह, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-26

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत गारू प्रखण्ड आदिवासी बहुल, घनघोर नक्सल प्रभावित एवं वनअच्छादित प्रखण्ड है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि आदिवासी एवं अन्य निर्धन बच्चे उच्च विद्यालय 8 से 10 कि०मी० के दूरी पर अवस्थित होने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ग्राम कोटाम में अवस्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत करने से आदिवासी निर्धन बच्चों को उच्च शिक्षा का लाभ दिया जा सकता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मध्य विद्यालय, कोटाम की कुल भूमि 0.45 एकड़ है, जिस पर मध्य विद्यालय का भवन निर्मित है। साथ ही इस विद्यालय में छात्र संख्या मात्र 22 है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष 2017-2018 में कोटाम मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड-3 में स्थिति स्पष्ट है। विद्यालय उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने की अर्हता पूरी नहीं करता है।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-23/2018 228 रांची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–04 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के सदर प्रखण्ड मेदिनीनगर के ग्राम चियांकी स्थित पहाड़ पर एक भव्य मन्दिर का निर्माण कराया गया है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** चियांकि पहाड़ के उपर एक मंदिर निर्मित है।
2.	क्या यह बात सही है कि अभी वह पहाड़ उस क्षेत्र के लिए पिकनीक स्पोट बन गया है जहाँ लोग दूर–दूर से आते है तथा निर्माणधीन मन्दिर का प्रशंसा करते है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** यहाँ स्थानीय लोग पूजा–अर्चना के लिए आते है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए उस पहाड़ी क्षेत्र को विकसित करने तथा सुन्दीकरण एवं पार्क का निर्माण कर पर्यटन क्षेत्र घोषित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	वर्तमान में स्थल का पर्यटन संभावना बहुत पुख्ता नहीं है, भविष्य में पर्यटन संभावना बढ़ने पर उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण इत्यादि का कार्य जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/04/2018 155 /राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–153/वि०स० दिनांक–10/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

227

श्री डुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–07 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पॉलिथिन बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ;	स्वीकारात्मक। राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विषयगत गजट अधिसूचना दिनांक–17.10.2017 से राज्य में लागू है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट एवं थर्मोकाल के कटोरी, पत्तल आदि का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुँच रहा है ;	वनों से पत्ता का संग्रहण स्थापित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत् एवं वनों का सतत् विकास पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ही किया जा सकता है। प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट एवं थर्मोकाल के कटोरी, पत्तल आदि को प्रतिबंधित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य का बड़ा भू–भाग वन क्षेत्र है एवं पत्तों से बनी हुई कटोरी, पत्तल तथा मिट्टी के कुल्हड़ को बढ़ावा दिया जा सकता है एवं प्लास्टिक तथा थर्मोकोल के उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है जिससे रोजगार का सृजन भी होगा तथा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा ;	
(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में पत्तों से बनी कटोरी, पत्तल का बढ़ावा देने तथा प्लास्टिक तथा थर्मोकोल के वस्तुओं पर रोक लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–14 / 2018– 330 व0प0, राँची, दि०– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–543 दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 20/01/2018
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-18 V.K

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के द्वादश (बजट) सत्र में दिनांक 23.01.2018 को श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला में एक भी स्नातक अभियन्त्रण महाविद्यालय नही है;	– अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल का मुख्यालय भी है जहॉ अगल–बगल जिलों के करीब 50 हजार छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत है, परन्तु उक्त जिला में खण्ड–01 में वर्णित महाविद्यालय नहीं होने के कारण उक्त छात्र–छात्राऐं को अन्य राज्यों में जाकर अभियन्त्रण की पढ़ाई करने हेतु पलायन करना पड़ता है।	– विनोबा भावे विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अभियंत्रण महाविद्यालय (UCET) संचालित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में विर्णत जिला मुख्यालय में अभियन्त्रण महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– फिलहाल हजारीबाग जिला मुख्यालय में अतिरिक्त अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने की योजना नहीं है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–01उ0त0/वि0स0–.....01...../18 - 124 /राँची, दिनांक– 20.01.18

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 324 दिनांक 13.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.1.18
(सरकार के अवर–सचिव)

श्री प्रकाश राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–16 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बारीयातु प्रखण्ड के ग्राम–बेसरा, भाट चतरा एवं हेरहंज प्रखण्ड के कटांग एवं अन्य कई ईलाकों में वन प्रक्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर वन भूमि को कब्जा किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक। ऐसे कई मामले वन विभाग के संज्ञान में आये है।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में पेड़ की अवैध कटाई विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी की लापरवाही से हो रही है ;	लातेहार जिला में वनों की अवैध कटाई एवं अवैध अतिक्रमण की रोकथाम हेतु वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है एवं अवैध अतिक्रमण/अवैध कटाई को रोकने हेतु छापामारी की जा रही है। वर्ष 2017 में जप्ती करते हुए वन वाद दायर किये गये है, जो निम्नवत् है :–
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लातेहार जिला में जंगल की अवैध कटाई को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

अवैध पातन की विवरणी	अतिक्रमण के लिए कार्रवाई
दर्ज वन वाद–31 जप्ती काष्ट–16.96 घन मी0 जप्त बल्ली–541 पीस	दर्ज वन वाद–18 अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी वन भूमि–65.45 है0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–18/2018– 328 व0प0, राँची, दि०– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–540 दिनांक–15.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

230

237
22/01/2018

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-42

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड काठीकुण्ड अन्तर्गत उच्च विद्यालय काठीकुण्ड एवं +2 उच्च विद्यालय काठीकुण्ड में सृजित पदों के अनुरूप सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दुमका जिलान्तर्गत प्रखण्ड काठीकुण्ड के उच्च विद्यालय, काठीकुण्ड में 10 शिक्षकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 02 शिक्षक कार्यरत हैं एवं 02 शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया गया है। +2 उच्च विद्यालय, काठीकुण्ड में 11 शिक्षकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध 06 शिक्षक कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि उच्च विद्यालय काठीकुण्ड में दो शिक्षक कार्यरत तथा दो प्रति नियुक्ति पर तथा +2 उच्च विद्यालय काठीकुण्ड में मात्र 6 शिक्षक कार्यरत हैं;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में बेहतर शिक्षण हेतु सभी विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उच्च विद्यालयों में 17864 सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है। आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर विषयवार शिक्षकों को पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ह०) 22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-33/2018 237 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती मेनका सरदार, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-08

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखण्डाधीन सभी छात्र-छात्राओं को डिग्री शिक्षा के लिए 50 कि०मी० की दूरी तय करते हुए जमशेदपुर जाना पड़ता है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। पोटका विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत एल०बी०एस०एम० महाविद्यालय करणडीह, जमशेदपुर में स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित प्रखण्ड आदिवासी बहुल व शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हुई है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। पोटका प्रखण्ड आदिवासी बहुल है, किन्तु साक्षरता 64 प्रतिशत से अधिक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में पोटका प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रखण्ड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-11/2018 164 / राँची दिनांक- 22.01.2018 /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-150 दिनांक-10.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।